

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर संगरिया

वीठासीन अधिकारी - राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

अनुवान

जसवीर सिंह

बनाम

सतपाल सिंह वगैरा

राजस्व वाद

खाला तकसीम व जमाबन्दी दुरुस्ती

नम्बर मुकदमा - 148 / 2023

निर्णय दिनांक - 18.07.2024

जसवीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़


- वादी

बनाम

- 1 सतपाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 2 जगतार सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 3 चन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 4 लखविन्द कौर पुत्री गुरनाम कौर पत्नी भगवन्त सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 5 मन्दी सिंह पुत्र गुरनाम कौर पत्नी भगवन्त सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 6 सरसिंह सिंह पुत्र गुरनाम कौर पत्नी भगवन्त सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 7 लखविन्द सिंह पुत्र गुरनाम कौर पत्नी भगवन्त सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 8 जसवीर सिंह पुत्र गुरनाम कौर पत्नी भगवन्त सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 9 बलजीत कौर पुत्री गुरनाम कौर पत्नी भगवन्त सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 10 गुरदास सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 11 जगराज सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र चनण सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 12 बलराज सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र चनण सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 13 प्रकाश सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 14 भरपुर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 15 जगदेव सिंह पुत्र जगीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 16 जगरूप सिंह पुत्र जगीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 17 इकबाल सिंह पुत्र जगीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 18 शिवराज सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 19 बलराज सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 20 शिवराज सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 21 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 22 कौर सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जटसिख सा जण्डवाला सिखान तह संगरिया

- प्रतिवादीगण

महायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया



## उपस्थित

- 1 श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू - अधिवक्ता वादी
- 2 श्री रामनिवास बेदी - अधिवक्ता प्रति स. 22

### निर्णय

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 एल.आर.एक्ट. का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी के नाम चक 6 एन.के.आर. खाता स. 23/16 खाता गुरचरण सिंह ज.स. 2071-2074 में साझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 6 एन.के.आर. खाता स. 23/16 खाता गुरचरण सिंह ज.स. 2071-2074 के खाता में वादी के पिता का नाम गुरचरण सिंह के स्थान पर चरण सिंह दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादी के पिता का सही नाम गुरचरण सिंह है। जैसा की वादी के आधार कार्ड में व वादी के पिता के वोटर पहचान पत्र में दर्ज है। वादी के पिता का नाम जमाबन्दी में गलत दर्ज होने के कारण वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि वादी के पिता का सही नाम गुरचरण सिंह ही है। जमाबन्दी में गलती से व सहबन से गुरचरण सिंह के स्थान पर चरण सिंह दर्ज हो गया है। जो सहबन से दर्ज हुआ है। व काबिल दुरुस्ती है। इसलिए वादी के पिता का नाम चक 6 एन.के.आर. खाता स. 23/16 खाता गुरचरण सिंह ज.स. 2071-2074 में चरण सिंह के स्थान पर दुरुस्त किया जाकर गुरचरण सिंह दर्ज किया जावे। इसी प्रकार की दुरुस्ती वादी करवाना चाहता है। दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादी ने साझा खाता के अन्य सहहिस्सेदारान प्रतिवादीगण के साथ अच्छी मे से अच्छी तथा मदी में से मदी के मुताबिक घरू विभाजन कर रखा है। मुताबिक घरू विभाजन प्राप्त आराजी का वादी निम्नानुसार खाता अलग अलग कायम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है उक्त आराजी मौका पर वादी के कब्जा काश्त में है:-

ए. वादी जसवीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह का कब्जा:-

चक 6 एन.के.आर.

140/152 34 6/2/.114 6/4/.013 गै.मु.खाला

141/152 35 1-2-9-10-11-12-19/.253 है.प्र

वादी दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है लेकिन उक्त आराजी साझा खाता में दर्ज होने के कारण व उक्त खाता विवादीत खाता होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिये वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादी का खाता दावा की दफा 4 के मुताबिक अलग कायम करवा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा रकम राज अलग कायम करवा लेवे लेकिन पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन अन्त में पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इकारी हो गये। यही विनाय दावा है। चक 6 एन.के.आर. खाता स. 23/16 खाता गुरचरण सिंह ज.स. 2071-2074 के खाता वादी के पिता का नाम दुरुस्त किया जाकर जसवीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह दर्ज किया जावे तथा वादी का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीमेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रति स. 1 ता 20 की तलबी जरिये साधारण सम्मन होने पर इनके हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति स. 22 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब दावा भय काउण्टर क्लेम पेश किये गये। जो शामिल मिराल है। प्रशनगत भूमि के

महायक क्लर्क एच

उपखण्ड, अधिकारी

मंगीया

संबंध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से कब्जाकाश की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्र क्रमांक:- प्रा.डिकी./ भु.अ./024/1665 दिनांक 14-05-2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील उभय पक्ष ने वाद पत्र में प्रस्तुत जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सहकाशतकार है। प्रति स. 22 की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश है। वादी व प्रतिवादीगण के वाद पत्र का कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। प्रकरण में कोई विवाद नहीं है। इसलिए वादी क वाद पत्र मुताबिक तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त कब्जा काशत रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक 6 एन.के.आर. खाता स. 23/16 खाता गुरचरण सिंह ज.स. 2071-2074 में साझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 6 एन.के.आर. खाता स. 23/16 खाता गुरचरण सिंह ज.स. 2071-2074 एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया की रिपोर्ट के अवलोकन से साबित है कि वादी एव प्रतिवादीगण सह काशतकार है। प्रशनगत आराजी पर पक्षकारो का अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काशत करते चले रहे हैं। वर्तमान में भी कब्जाकाशत बाबत कोई विवाद सामने नहीं आया है। वाद पत्र में कोई विरोध सामने नहीं आया है। तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काशतकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### कियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिकी किया जाता है:-

- चक 6 एन.के.आर. खाता स. 23/16 में कुल रकबा 2.657 है. मौके पर कब्जाकाशत की भूमि:-
- 1 भरपूर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान प.न. 140/157 मु.न. 54 किला न. 25/1/.114 है. प.न. 141/157 मु.न. 53 किला न. 21/1/.038 है. कुल रकबा 0.152 है. नहरी
  - 2 गुरदास सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, गुरनाम कौर पत्नी भगवन्त सिंह, गुरनाम सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, जसवीर सिंह पुत्र भगवन्त सिंह, पुत्र चनन सिंह, जसविन्द्र कौर पुत्री भगवन्त सिंह, बलराज सिंह प्रकाश सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, बलजीत कौर पुत्री भगवन्त सिंह, बलराज सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, भरपूर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, भाग सिंह पुत्र केहर सिंह, मन्दर सिंह पुत्र भगवन्त सिंह, लखविन्द्र सिंह पुत्र भगवन्त सिंह, शिवराज सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, सरदुल सिंह पुत्र भगवन्त सिंह, गुरचरण सिंह पुत्र चनन सिंह ब. हि.ब. जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान प.न. 140/157 मु. न. 54 किला न. 25/2/.139 है. प.न. 141/157 मु.न. 53 किला न. 21/2/.215 है. कुल रकबा 0.354 है 0 नहरी
  - 3 जसवीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान प.न. 140/152 मु.न. 34 किला न. 6/2/.114 है. 6/4/.013 है. प.न. 141/152 मु.न. 35 किला न. 1-2/.253प्र. 9 ता 12/.253प्र. 19/.253 कुल रकबा 1.898 है. नहरी
  - 4 कौर सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान प.न. 141/151 मु.न. 28 किला न. 23/.253 है. कुल रकबा 0.253 है 0 नहरी

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भु.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक:- प्रा.डिक्री. / भु.अ. / 024 / 1665 दिनांक 14-05-2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।  
निज.......... मुब्लिक.......... बाबत.......... खर्चा मुकदमें

के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......... को अदा करें।  
बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 18.7.2024 को जारी की गई।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

# मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लैक्टर संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद : इस्तकरार हक व खाता विभाजन

जसवीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तह.  
संगरिया जिला हनुमानगढ

- वादी

## बनाम

- 1 सतपाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तह.  
संगरिया जिला हनुमानगढ
- 2 जगतार सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तह.  
संगरिया जिला हनुमानगढ
- 3 चन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तह.  
संगरिया जिला हनुमानगढ
- 4 जसविन्द्र कौर पुत्री गुरनाम कौर पत्नी भगवन्त सिंह जाति जटसिख सा.  
जण्डवाला सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 5 सुन्दर सिंह पुत्र गुरनाम कौर पत्नी भगवन्त सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला  
सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 6 जसदुल सिंह पुत्र गुरनाम कौर पत्नी भगवन्त सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला  
सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 7 जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरनाम कौर पत्नी भगवन्त सिंह जाति जटसिख सा.  
जण्डवाला सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 8 जसवीर सिंह पुत्र गुरनाम कौर पत्नी भगवन्त सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला  
सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 9 बलजीत कौर पुत्री गुरनाम कौर पत्नी भगवन्त सिंह जाति जटसिख सा.  
जण्डवाला सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 10 गुरदास सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तह.  
संगरिया जिला हनुमानगढ
- 11 जगराज सिंह पुत्र महेंद्र सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र चनण सिंह जाति जटसिख  
सा. जण्डवाला सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 12 बलराज सिंह पुत्र महेंद्र सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र चनण सिंह जाति जटसिख  
सा. जण्डवाला सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 13 प्रकाश सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तह.  
संगरिया जिला हनुमानगढ
- 14 भरपुर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तह.  
संगरिया जिला हनुमानगढ
- 15 जगदेव सिंह पुत्र जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला  
सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 16 जगरूप सिंह पुत्र जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला  
सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 17 इकवाल सिंह पुत्र जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला  
सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 18 शिवराज सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला  
सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 19 बलराज सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला  
सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 20 शिवराज सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तह.  
संगरिया जिला हनुमानगढ
- 21 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया जिला हनुमानगढ
- 22 कौर सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान तह. संगरिया

-प्रतिवादीगण

महायक क्लैक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

मु. स. 148/2023 दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.व 136 एल.आर.एक्ट.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से दिया जाता है कि वादी का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा वादी व उक्त प्रतिवादीगण का निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जावे :-

चक 6 एन.के.आर. खाता स. 23/16 में कुल रकबा 2.657 है. मौके पर कब्जाकाश की भूमि:-

- 1 भरपूर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान प.न. 140/157 मु.न. 54 किला न. 25/1/.114 है. प.न. 141/157 मु.न. 53 किला न. 21/1/.038 है. कुल रकबा 0.152 है. नहरी
- 2 गुरदास सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, गुरनाम कौर पत्नी भगवन्त सिंह, गुरनाम सिंह पुत्र चनन सिंह, जसविन्द्र कौर पुत्री भगवन्त सिंह, जसवीर सिंह पुत्र भगवन्त सिंह, प्रकाश सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, बलजीत कौर पुत्री भगवन्त सिंह, बलराज सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, भरपूर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, भाग सिंह पुत्र केहर सिंह, मन्दर सिंह पुत्र भगवन्त सिंह, लखविन्द्र सिंह पुत्र भगवन्त सिंह, शिवराज सिंह पुत्र गुरबचन सिंह, सरदुल सिंह पुत्र भगवन्त सिंह, गुरचरण सिंह पुत्र चनन सिंह ब. हि.न. जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान प.न. 140/157 मु. न. 54 किला न. 25/2/.139 है. प.न. 141/157 मु.न. 53 किला न. 21/2/.215 है. कुल रकबा 0.354 है0 नहरी
- 3 जसवीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान प.न. 140/152 मु.न. 34 किला न. 6/2/.114 है. 6/4/.013 है. प.न. 141/152 मु.न. 35 किला न. 1-2/.253प्र. 9 ता 12/.253प्र. 19/.253 कुल रकबा 1.898 है. नहरी
- 4 कौर सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला सिखान प.न. 141/151 मु.न. 28 किला न. 23/.253 है. कुल रकबा 0.253 है0 नहरी

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भु.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक:- प्रा.डिक्री/भू.अ./024/1665 दिनांक 14-05-2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज..... मुब्लिक..... बाबत..... खर्चा मुकदमें के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 18.07.2024 को जारी की गई।

नोट :-यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।



(राकेश कुमार मीना)  
सहायक क्लर्क एवं  
उपस्थान अधिकारी संगरिया  
संगरिया